न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– 177 / 2024
भूरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
– वादी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।
– प्रतिवादी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 17.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास के खसरा सं. 444 तादादी 5.1212 हेक्ट. हैं। जिसमें वादी की जाति दरोगा अंकित है जो गलत है, जबकि वादी कि जाति रावणा राजपूत सही हैं। जाति में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचांन आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में अपनी जाति दुरूस्त करवाना चाहता है। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष वाद पत्र पेश कर रहा है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास के खसरा सं. 444 तादादी 5.1212 हेक्ट. में वादी कि जाति रावणा राजपूत किये जाने का आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार ने अलग से कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील वादी को दावा साक्ष्य से साबित करने की हिदायत दी गई। साक्ष्य वादी में गवाह भूरसिंह पी.डब्लू. 01 के शपथ पत्र पेश किये गयें। उक्त गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। पी.डब्लू. 01 ने दावा के प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करायें। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये। संरपच ग्राम पंचायत धीरवास ने वादी की जाति रावणा राजपूत होना पाया गया है।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान–पत्र से वादी कि जाति दस्तावेजीय रावणा राजपूत है।

उपर्युक्त वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही ग्राम धीरवास के खसरा सं. 444 तादादी 5.1212 हेक्ट. की वर्तमान जमाबन्दी की वर्तमान प्रविष्टि में वादी की जाति **दरोगा Delete** कर इसके स्थान पर **रावणा राजपूत** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कि जावे तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू